

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5693
26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सुविधाओं की पर्याप्तता

5693. डॉ. तामिज़ाची थंगापंडियन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आज की तिथि के अनुसार उत्पादित तकनीकी उत्पादों सहित अधिसूचित वस्त्र उत्पादों/फाइबर की संख्या क्या है;
- (ख) नए उत्पादों की खोज के लिए देश में अनुसंधान और विकास सुविधाओं की पर्याप्तता संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत दस वर्षों के दौरान, स्वदेश में खोजी गई, उत्पादित और सफलतापूर्वक विपणित नए फाइबर यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग क्षेत्र में नए तकनीकी उत्पादों के विकास/शुरुआत के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की प्रक्रिया चल रही है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): आज की तारीख तक तकनीकी उत्पादों सहित देश में उत्पादित वस्त्र उत्पादों /फाइबर की संख्या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित की जाती है, जिसे अनुबंध में दिया गया है।

(ख): वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के क्रिया कलापों के लिए सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के लिए आठ उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए हैं, जिन्हें नीचे दिया गया है -

क्रं. सं.	सीओई का नाम	क्षेत्र	क्रं. सं.	सीओई का नाम	क्षेत्र
1	बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, मुम्बई	ज्योटेक	5	डीकेटीई सोसाईटीज वस्त्र एवं इंजीनियरिंग संस्थान, कोल्हापुर	नान वोवेन
2	सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ, मुम्बई	एग्रोटेक	6	पीएसजी कालेज आफ टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर	इंडुटेक
3	उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद	प्रोटेक	7	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ,	कंपोजिट

				अहमदाबाद	
4	दक्षिण वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर	मेडिटेक	8	ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे	स्पोर्टेक

(ग): ग्लास फाइबर्स और कंपोजिट का उत्पादन और विपणन भारत में किया जाता है। अन्य संशोधित पोलिमेर नया सिंथेटिक फाइबर / फिलामेंट, जिनकी **समायत** देश में विकसित की जा रही है, ये हैं; फ्लेम रिटारडेंडर पोलि एथलीन टेरफथिलेट(पीईटी), एंटीमाइक्रोबियल पीईटी, हौलो पीईटी, ट्राइलोगल पीईटी, कंजुमेट स्टेपल पीईटी, मोइस्चर मैनेजमेंट पीईटी फिलामेंट, अल्ट्रावायलेट रेसिस्टेंट पोलि प्रोपीलिन, फ्लैक्स और नेटल जैसे देश में उपलब्ध हिमालयी पौधों से फाइबर विकसित करने के लिए बुनियादी अनुसंधान किया जा रहा है।

(घ): संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी सहयोग से भारत में जापानी वस्त्र विनिर्माताओं द्वारा जमा किए जाने वाले संभावित निवेश के लिए जापान में तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं के साथ सरकार चर्चा कर रही है। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी, 2019 में जापान का दौरा किया था जिसमें मैसर्स तींजिन फ्रंटियर कार्पोरेशन, जापान जैसे कुछ अग्रणी विनिर्माताओं ने भारत में वस्त्र विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश करने में दिलचस्पी जाहिर की। भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), जो जापान में गए उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी भाग था, अपने समकक्ष संघ के साथ व्यापार साझेदारी और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों पर कार्य कर रहा है।

अनुबंध

क्र. सं.	अध्याय	मद
1.	अध्याय 50	रेशम
2.	अध्याय 51	ऊन, जानवरों के कोमल या रूखेबाल, हार्सचेयर यार्न और वीवन फैब्रिक
3.	अध्याय 52	काटन
4.	अध्याय 53	अन्य वनस्पति वस्त्र फाइबर, पेपर यार्न और पेपर यार्न का वोवन फैब्रिक
5.	अध्याय 54	मानव निर्मित फिलामेंट
6.	अध्याय 55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर
7.	अध्याय 56	वेडिंग, फेल्ट एंड नान वोवंस, विशेष यार्न, ट्वाइन, कोरडेज, रोप्स और केबल्स तथा इसकी वस्तुएं
8.	अध्याय 57	कालीन और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स
9.	अध्याय 58	स्पेशल वोवंस फैब्रिक्स, टफटेड टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स, लेस, टेप्स-ट्राइज, ट्रिमिंग्स, एंब्राइडरी
10.	अध्याय 59	इंप्रिग्नेटेड, कोटेड, कवर्ड या लैमिनेटेड टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त प्रकार की वस्त्र मर्दे
11.	अध्याय 60	निटेड या क्रोशिए के फैब्रिक्स
12.	अध्याय 61	अपैरल और क्लोदिंग की सहायक वस्तुएं, निटेड या क्रोशिए वाली मर्दे
13.	अध्याय 62	अपैरल और क्लोदिंग की सहायक वस्तुएं, निटेड या क्रोशिए नहीं बनी मर्दे
14.	अध्याय 63	मेड-अप टेक्सटाइल की अन्य मर्दे, सेट, वोर्न क्लोदिंग और वोर्न टेक्सटाइल मर्दे, रैग्स

उपर्युक्त के अलावा, डीजीएफटी ने नए एचएसएन कोड के साथ दिनांक 15.01.2019 की अधिसूचना सं. 5412015-2020 के तहत तकनीकी वस्त्रों के 207 उत्पाद अधिसूचित किए हैं।